39

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

COURT FEE भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र

पुर्नरीक्षण प्रकरण कमांक ..../17

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/4161

आवेदक

1. पं. कु. अमन शर्मा पिता स्व. डा. पुरूषोत्तम नारायण शर्मा, उम्र 32 वर्ष

2. शैलेन्द्र शर्मा पिता स्व प्रभुदयाल शर्मा, उम्र 45 वर्ष दोनों वारसान मृत तुलसीराम दोनों निवासी ग्राम बरबाई तहसील कुरवाई जिला विदिशा

श्री .... द्वारा आज दि. 3.11.17 को प्रस्तुत

राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

प्र०दि० 6-11-17

03/11/17

3. परमानंद शर्मा पिता स्व श्यामलाल उम्र 60 वर्ष

4. कृष्णानंद शर्मा पिता स्व श्यामलाल उम्र 55 वर्ष मृत वारसान श्यामलाल दोनों निवासी ग्राम बरबाई तहसील कुरवाई जिला विदिशा

विरूद्ध

अनावेदक

1. लालता प्रसाद मृत वारसान
   अ.सूर्यप्रकाश उम्र 40 वर्ष
   ब.सत्यपाल उम्र 48 वर्ष
   दोनों निवासी– वार्ड नं 8 बाला जी स्वीमिंग पुल तहसील गंजबसोदा जिला विदिशा
   स. ओमप्रकाश उम्र 50 वर्ष
   द. निधि उम्र लगभग 42 वर्ष निवासी– तहसील कार्यालय के पास विदिशा म.प्र.
   ड. श्रीमति ऊषा उम्र 41 वर्ष निवासी–लोहांगीपुरा विदिशा
   सभी पिता स्व लालता प्रसाद

01 NOV 2017

NOTARY RAMDAS SHARMA M.P.19/2014/21 -B(2)2013 JABALPUR (M.P.)

2. राधिका प्रसाद मृत वारसान
   अ. चंद्रशेखर श्रीवास्तव उम्र 52 वर्ष तहसीलदार गोहरगंज जिला रायसेन

Aman Sharma

ब. अजय कुमार, उम्र 40 वर्ष
दोनों पिता स्व श्री राधिका प्रसाद
निवासी शेरपुरा विदिशा, म.प्र

3. अम्बिका प्रसाद मृत वारसान
अ. ओमप्रकाश मृत वारसान
अ1. किरन उम्र 54 वर्ष
पत्नि स्व ओमप्रकाश
ब. राहुल उम्र 27 वर्ष
स. विवके उम्र 25 वर्ष
ड. विशाल उम्र 23 वर्ष
सभी के पिता स्व ओंमप्रकाश
सभी निवासी ग्राम हिनौतिया
माली तहसील शमसाबाद
विदिशा, म.प्र.

ब.1. भूरा उर्फ छोटा उर्म्र 42 वर्ष

स. विनोद श्रीवास्तव एडवोकेट
निवासी सिरोन जिला विदिशा
द. राजकुमार पुत्र हीरालाल जैन
निवासी ग्राम वरवाई तहसील
कुरवाई जिला विदिशा

<u>आवेदन अंतर्गत धारा 50 म. प्र भू राजस्व संहिता वास्ते पुर्नरीक्षण करने वाबत ।</u>

आवेदकगण माननीय न्यायालय निम्नलिखित प्रार्थना करते है कि :-

1. यह कि, आवेदकगणों ने निम्न न्यायालय अपर आयुक्त भोपाल न्यायालय के अंतरिम आदेश दिनांक 30-10-17 प्र.क्र. 93/A/17-18 से व्यथित होकर यह पुर्नरीक्षण याचिका प्रस्तुत कर रहा है जो इस प्रकार हैः-

01 NOV 2017

NOTARY RAMDAS SHARMA M.P. 19/2014/21 -B(2)2013 JABALPUR (M.P.)

<u>पुर्नरीक्षण के आधार</u>

1. यह कि, अनावेदकगण द्वारा नामातरण आदेश विचारण न्यायालय तहसीलदार कुरवाई द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.10.2015 प्र.क्र.

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक – एक / निग0 / विदिशा / भू–रा / 2017 / 4161 जिला – विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03–11–2017	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता एवं स्थगन के बिंदु पर सुना गया । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं प्रकरण का अवलोकन किया । अपर आयुक्त के आदेश के आलोच्य आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उनके द्वारा आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील की सुनवाई करते हुए स्थगन आवेदन निरस्त किया है और अपील ग्राह्य करते हुए अभिलेख बुलाए जाने तथा अनावेदकों को तलब किए जाने के आदेश दिए हैं ऐसी स्थिति में अपील को ग्राह्य किये जाने का कोई औचित्य नहीं है । परंतु जो तर्क एवं आधार आवेदकों द्वारा स्थगन पर बताए गए हैं, उनको दृष्टिगत रखते हुए यह पाया जाता है प्रकरण में स्थगन हेतु पर्याप्त आधार हैं । अतः इस प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी, कुरवाई के आदेश दिनांक 29.9.2017 का कियान्वयन आगामी तीन माह तक स्थगित करते हुए अपर आयुक्त को यह निर्देश दिए जाते है वे आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपील का निराकरण उभयपक्षों को सुनकर यथाशीघ्र करें । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । सदस्य	